HRA का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III — खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 70] No. 70] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2001/फाल्गुन 30, 1922

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2001/PHALGUNA 30, 1922

इंडियन बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

चेन्नै, 27 फरवरी, 2001

सं. एस आर सी/223/50.— बैककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इंडियन बैक अधिकारी कर्मचारी (सेयानिवृद्धित के बाद निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 1979 का अधिक्रमण करते हुए और अधिसूचना सं.38 दि.23.9.95 द्वारा संशोधित किए गए अनुसार, इंडियन बैक का निदेशक बोर्ड भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, एतुद्वारा, निम्निलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्म
- (1) इन विनियमों को इंडियन वैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानियृत्ति के बाद गेर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 कहा जा सकेगा ।

4

- (2) ये यिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रयुक्त होंगे ।
- 2. पर्योज्यता

ये विनियम, निम्नलिखित के सिवाय, बैक के सभी अधिकारी कर्मचारियो पर लाग होंगे :

- (i) बैंक का अध्यक्ष:
- (ii) वैक का प्रवंध निदेशक ;
- (iii) पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो;
- (iv) बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अंतर्गत शामिल अधिकारी कर्मचारी ;

888 GI/2001 (1)

- (v) वे, जो आकस्मिक रोजगार में हैं या जिन्हें आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है
- (vi) पंचाट कर्मचारी (अवार्ड स्टाफं);
- (vii) संविदागत अधिकारी ;

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "वैंक" से इंडियन वैंक जिंधप्रेत है ;
- (ख) "बोर्ड" से इंडियन बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत ;
- (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी अभिग्रेत है ;
- (घ) "गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं :-
 - (i) किसी भी रूप में कोई रोजगार, जिसमें किसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित), सहकारी सिमिति, फर्म में एजेंट या व्यापार वाणिज्यिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारबार में लगा व्यक्ति शामिल है और इसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सिहत) का निवेशक और ऐसी फर्म की भागीदारी भी शामिल है, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व वाले या नियंत्रण वाले किसी निगमित निकाय के अधीन रोजगार शामिल नहीं है;
 - (ii) उन मामलों में, सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, या तो स्वतंत्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में, व्यवसाय शुरु करना, जिनके संबंध में व्यक्ति के पास :
 - (क) कोई व्यायसायिक योग्यता नहीं है और वे मामले जिनके संबंध में व्ययसाय शुरु किया जाना है या किया जाता है, उसके सरकारी ज्ञान या अनुभव से संबंधित हैं, या
 - (ख) व्यावसायिक योग्यता है किन्तु, वे मामले, जिनके संबंध में ऐसा व्यवसाय शुरु किया जाना है, इस तरह के हैं, जिनसे उसकी पूर्व सरकारी हैसियत की वजह से उसके ग्राहकों को अनुचित लाभ मिलने की संभावना है, या
 - (ग) उसे ऐसा कार्य शुरु करना है, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ संबंध या सम्पर्क करना शामिल है

स्पष्टीकरण :- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "निर्गामत समिति में रोजगार" अभिव्यक्ति में अध्यक्ष (प्रेसीडेट), समापति (चेयरमैन). प्रबंधक, सचिय, कोषाध्यक्ष आदि, उस समिति में चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, जेसा कोई पद धारित करना, चाहे चयनित हो या अन्यथा शागिल है।

- (इ.) "अधिकारी कर्मचारी " का आश्य ऐसे व्यक्ति से है जो बैंक में पर्यवेक्षक, प्रशासक या प्रबंधकीय पद पर रहा हो या कोई अन्य व्यक्ति जिसे सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो या जिसने अधिकारी के रूप में कार्य किया हो चाहे उसका पदनाम कुछ भी हो।
- 4. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना
- (1) यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल पहले अधिकारी कर्मचारी के पद पर रहा हो आर अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने के पहले निजी क्षेत्र में कोई कार्य स्वीकार करने का इच्छुक हो तो उसे इस संबंध में वैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी।
- (2) उप विनियमन (3) के प्रावधानों के अध्यधीन, बैंक किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आवेदन पन्न पर लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आवश्यक हों, किसी व्यक्ति को आवेदन पन्न में विनिर्दिष्ट निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमित प्रदान कर सकती है, या मना कर सकता है, जिसका कारण आदेश में रिकार्ड किया जाएगा।
- (3) किसी व्यक्ति को उप विनियमन (2) के अंतर्गत कोई व्यावसायिक रोजगार अपनाए जाने की अनुमित देने या इस प्रकार की अनुमित से मना करने पर बैंक निम्निलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा नामत:
- (क) अपनाए जाने बाले प्रस्तावित रोजगार की प्रकृति तथा नियोक्ता के पूर्ववृत्त;
- (ख) क्या अपनाए जाने वाले रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की हो सकती है कि वैंक के साथ उसका संघर्ष हो;
- (ग) क्या अधिकारी कर्मचारी, जबिक वह सेवा में था. ने उस नियोक्ता के साथ, जिसके तहत उसे कार्य करना प्रस्तावित है, कोई इस प्रकार का लेनदेन किया था जिससे इस प्रकार का शक होने का तर्कसंगत आधार बने कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसे नियोक्ता के प्रति पक्षपात दर्शाया हो:
- (घ) क्या प्रस्तावित व्यायसायिक रोजगार की प्रकृति इस प्रकार की है जिसमें बैंक के साथ संबंध या सम्पर्क रहेगा:
- (ङ) क्या उसके व्यावसायिक रोजगार इस प्रकार के हैं जिसमें बैंक के तहत उसकी पूर्व आधिकारिक स्थिति या ज्ञान या अनुभव का प्रस्तावित नियोक्ता, अनुधित लाभ उठा सकता है:
- (च) प्रस्ताचित नियोवता द्वारा प्रदान की जाने वाली परिलक्षियां ; और
- (छ) कोई अन्य संबद्ध कारक ।
- (4) जहां उप विनियमन (2) के अंतर्गत किसी आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिनों की अविध के भीतर यदि बैंक आवेदन पर अनुमित नामंजूर नहीं करता है या आवेदक को इस नामंजूरी के बारे में सूचित नहीं करता है तो ऐसा समझा जाएगा कि बैंक ने आवेदन पत्र के संबंध में अपनी अनुमित प्रदान कर दी है;

बशर्ती कि, किसी ऐसे मामले में जहां कि आवेदक द्वारा ब्रुटिपूर्ण या अपर्याप्त सूचना दी गई है और बैंक के लिए उससे स्पष्टीकरण या और सूचना मांगना आवश्यक हो तो साठ दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिस तारीख को ऐसी ब्रुटि आवेदक ने दूर कर दी या पूर्ण सूचना दे दी।

(5) जहां बैंक किसी शर्त के अध्यधीन आवेदन किए गए प्रयोजन की अनुमित प्रदान करता है या ऐसी अनुमित देने से मना करता है तो आयंदक बैंक से ऐसे आशय के आदेश की प्राप्ति के तीस हिनों के भीतर ऐसी किसी शर्त या मनाही के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है और वैंक उस पर ऐसा आदेश करेगा जैसा वह उचित समझें:

बशर्तें कि, इस उप विनियमन के तहत ऐसी शर्त को रद्द करने वाला आदेश या विना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करने वाले आदेश के अलावा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जिससे कि अभ्यावेदन करने वाले व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताओ, का अवसर न प्रदान किया जा सके।

(6) इस विनियमन के तहत बैंक द्वारा पारित किए गए प्रत्येक आदेश को संबंधित व्यक्ति की सूचित किया जाएगा ।

सेल्वम वीरराघवन, सहायक महा प्रबंधक (कार्मिक) [सं. विज्ञापन/III/IV/290/2 के]

INDIAN BANK (Head Office)

NOTIFICATION

Chennai, the 27th February, 2001

No. SRC/223/50.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supercession of Indian Bank Officer Employees' (Acceptance of Jobs in Private Sector concerns after Retirement) Regulations, 1979 and as amended vide notification No.38 dt.23.09.1995, the Board of Directors of the Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:-

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:-

- (1) These Regulations may be called Indian Bank Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector concerns after Retirement) Regulations, 2000.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. APPLICATION:-

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the Bank except:-

- (i) Chairman of the Bank;
- (ii) Managing Director of the Bank;
- (iii) Whole time Director, if any;

- (iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;
- (v) Those who are in casual employment or paid from contingency;
- (vi) The Award Staff;
- (vii) Officers on contract.

3. **DEFINITION:-**

In these Regulations unless the context otherwise requires:-

- (a) 'Bank' means Indian Bank;
- (b) 'Board' means the Board of Directors of the Indian Bank;
- (c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;
- (d) 'Employment in private concerns' means:-
 - (i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government;
 - (ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect of which the person:-
 - (a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or
 - (b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or
 - (c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the Bank.

EXPLANATION:- For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

(e) 'Officer employee' means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the Bank or any other person who was appointed and/or has functioned as an officer of the Bank at the time of his retirement by whatever designation called.

4. ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT:-

- (1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the Bank to such acceptance.
- (2) Subject to the provision of sub regulation (3), the Bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.
- (3) In granting or refusing permission under sub regulation (2) to a person for taking up any commercial employment, the Bank shall have regard to the following factors, namely:-
 - (a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;
 - (b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the Bank;
 - (c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;
 - (d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with Bank:
 - (e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under Bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

- (f) the emoluments offered by the proposed employer; and
- (g) any other relevant factor.
- (4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the Bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the Bank shall be deemed to have granted the permission applied for;

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the Bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the Bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the Bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the Bank may make such orders thereon as it deems fit;

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the Bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

SELVAM VEERARAGHAVAN, Asst. General Manager (PL)
[No ADVT/III/IV/290/2k]